संख्या-46/2016/1337/नौ-5-2016-50बजट/2016

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक ,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 23 मई, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रामपुर की पेयजल परियोजना (पेयजल वितरण प्रणाली का विस्तार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/225/500/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 तथा शासनादेश संख्या-1651/नौ-5-16-39सा/2016, दिनांक 18.05.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत (AMRUT) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, रामपुर की पेयजल परियोजना (पेयजल वितरण प्रणाली का विस्तार) की लागत **रू0 302.88 लाख (₹ तीन करोड़ दो लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** पर **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	परियोजना का नाम	लागत (सेन्टेज सहित)	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	लागत में सम्मिलित सेन्टेज
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पालिका परिषद्, रामपुर की पेयजल परियोजना (पेयजल वितरण प्रणाली का विस्तार)	302.88	134.76	80.86	53.90	33.36

(1) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि शासनादेश संख्या-18/2016/6804/नौ-5-15-221बजट/2015, दिनांक 08.02.2016 द्वारा आपके नियर्तन पर अवमुक्त धनराशि में से यथाप्रक्रिया संबंधित को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी, जैसाकि शासनादेश दिनांक 08.02.2016 के बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित है।

(2) अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन टांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) परियोजना का क्रियान्वयन/अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुमन्य राज्यांश हेतु प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा तथा निकाय अंश की धनराशि की व्यवस्था तत्काल संबंधित निकाय से प्राप्त की जायेगी, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रभाव न पड़े।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

(47)

संख्या-146 /2016/1337(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-,

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
7- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रामपुर।
11- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
12- मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13- मुख्य अभियन्ता (मु0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
15- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।